State Andaman & Nicobar Island

143

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2007

S.O. 171(E).—In exercise of powers conferred by Section 3A of the Immigration (Carriers' Liability) Act, 2000 (of 2000), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. **Short title, commencement and extent.—**

(1) This Order may be called the Immigration (Carriers' Liability) Order, 2007.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Exemptions.**—The provisions of the said Act shall not apply to the carrier carrying :—

(i) passengers travelling on forged documents if such forgery cannot be detected without the help of experts;

(ii) stow-away passengers whom the carrier is ready to take back;

(iii) passengers who have arrived on an aircraft or ship which, on departure, had been diverted to India for reasons beyond the control of the carrier;

(iv) foreigners exempted from the requirement of passport or visa by the orders of the Central Government under the provisions of Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920);

(v) foreign tourist group consisting of four or more persons sponsored by a recognised Indian travel agency arriving without visa by air or by sea who have obtained Temporary Landing Permit at the port of entry;

(vi) foreigners holding diplomatic and official passport under any treaty waiving prior visa requirements.

[F. No. 25022/171/93 F. I]

ASHIM KHURANA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

-89-
144)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2007/माघ 20, 1928
No. 137] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2007/MAGHA 20, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2007

का.आ. 171(अ).—केन्द्रीय सरकार, अप्रवासन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 (2000 का 52) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रवृत्त होने की तारीख तथा विस्तार :—

(1) इस आदेश को अप्रवासन (वाहक दायित्व) आदेश, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश पूरे भारत में लागू होगा।

(3) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. छूटें :—सन्दर्भित अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित को ले जाने वाले वाहकों पर लागू नहीं होंगे :—

(i) फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर, यदि ऐसे फर्जी दस्तावेजों की पहचान विशेषज्ञों की सहायता के बिना न की जा सकती हो;

(ii) छिपाकर लाए गए ऐसे यात्रियों पर, जिन्हें वाहक वापिस ले जाने के लिए तैयार है;

(iii) किसी ऐसे वायुयान या जलयान, जिसे प्रस्थान के बाद वाहक के नियन्त्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण से भारत की ओर मोड़ दिया गया था, द्वारा आने वाले यात्रियों पर;

(iv) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के आदेशों द्वारा पासपोर्ट अथवा वीजा की अपेक्षता से छूट प्राप्त विदेशियों पर;

(v) किसी मान्यताप्राप्त भारतीय ट्रेवल एजेन्सी द्वारा प्रायोजित, वायु या जल मार्ग से वीजा के बिना आने वाले चार या पांच व्यक्तियों के विदेशी पर्यटक दल पर, जिसे प्रवेश के पत्तन पर अस्थाई लैंडिग अनुमति प्राप्त है;

(vi) पूर्व वीजा अपेक्षताओं से छूट प्रदान करने वाली किसी सन्धि के तहत राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारक विदेशियों पर।

[फा. सं. 25022/171/93-एफ. I]

अशीम खुराना, संयुक्त सचिव

418 GI/2007